खाद्य सुरक्षा मापदंड -असुरक्षित खाद्य पदार्थो को वापिस बुलाने की व्यवस्था

तीसरा अध्याय (केवल आस्ट्रेलिया) आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड खाद्य मापदंडों की संहिता

ध्यान दें : नये खाद्य सुरक्षा मापदंड न्यूज़ीलैंड में लागू नहीं होते। आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के मध्य खाद्य पदार्थो के मापदंडो की संधि के आदेशों में खाद्य पदार्थो की स्वच्छता के मापदंड शामिल नहीं हैं।

खाद्य पदार्थो को वापिस बुलाने की व्यवस्था किसे चाहिये ?

थोक विक्रेताओं,निर्माताओं और आयातकों को खाद्य पदार्थो को वापिस बुलाने की व्यवस्था चाहिए। खाद्य पदार्थो को वापिस बुलाने के कारणों में खाने को जहरीला बनानें वाले बैक्टीरिया,या रसायनों या किसी बाहरी पदार्थ से खाद्य पदार्थ का दूषित होना,जिससे खाना खाने पर किसी को नुक्सान पहुंच सकता हैं ,शामिल हैं।

यदि आप एक **थोक विक्रेता, निर्माता या खाद्य पदार्थो के आयातक** हैं तो आप के पास खाद्य पदार्थो को वापिस बुलाने की व्यवस्था संस्थापित अवश्य होनी चाहिए जिसको आप बाज़ार से खाद्य पदार्थ को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकें ,जब आप के द्वारा दूसरे खाद्य व्यवसायों या अपनें ग्राहकों को भेजने के बाद यदि आपको यह पता चले कि यह खाद्य पदार्थ किसी प्रकार से दूषित है और खाने के लिए खतरनाक है।

यह मांग मापदंड ३.२.२ *फूड सेफ्टी प्रैक्टिसिस एन्ड जनरल रिक्वायरमैंटस* में वर्णित है। आपकी वापिस बुलाने की व्यवस्था अवश्य ही लिखित रूप में होनी चाहिए और आप असुरक्षित खाद्य पदार्थ को वापिस बुलाते हुए लिखित कार्यप्रणाली का अनुसरण करें।

यदि आप का **खाद्य सेवा या परचून का व्यापार** है जैसे कि सुपर मार्किट ,रेस्टोरेंट या टेक अवे दुकान तो आपको वापिस बुलाने की व्यवस्था नहीं चाहिए जब तक कि आप एक थोक विक्रेता, निर्माता या आयातक न हों। थोक विक्रेता, निर्माता या आयातक सुपर मार्किट में बेचे गए खाद्य पदार्थो को वापिस बुलाने के लिए उत्तरदायी हैं और रेस्टोरेंट और टेक अवे दुकान में खाना सामान्यतः तुरंत खाया जाता है इसलिए वापिस बुलाना असाध्य है।

किन्तु खाद्य सेवा व परचून व्यापारियों को दूसरे व्यापार से वापिस बुला लेने में भाग लेना पड़ सकता है। ऐसे में ग्राहकों द्वारा लौटाए गए वापिस बुलाए गए सामान और वापिस बुलाए खाद्य पदार्थो की पहचान ,भण्डार और समाप्त करने की कुछ विशेष मांगें लागू होती हैं।इन मागों की और अधिक जानकारी इस तथ्य पत्रिका के भाग जिसका शीर्षक है "वापिस बुलाए गए असुरक्षित,अनुचित या लौटाए गए खाद्य पदार्थो को निपटाना " में है।

कभी कभी खाद्य व्यवसाय खाद्य पदार्थ को वापिस प्राप्त करने का निश्चय उन कारणों से भी लेते हैं जोकि खाद्य पदार्थ की सुरक्षा से संबधित नही है, उदाहरण के लिए, बांधने या लेबुल में गल्ती और वे इसके लिए अपनी वापिस बुलाने की व्यवस्था का प्रयोग कर सकते हैं यद्यपि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी बंधन नहीं है।

वापिस बुलाने की व्यवस्था का उद्देश्य

एक वापिस बुलाने की व्यवस्था अवश्य ही :

- शीघ्रातिशीघ्र असुरक्षित पदार्थो की बिक्री व अगले वितरण को रोके ;
- जन साधारण और संबधित अधिकारियों को समस्या के बारे में बताए ; और
- प्रभावशाली रूप से असुरक्षित खाद्य पदार्थो को वापिस प्राप्त करें।

वापिस बुलाने की व्यवस्था के मुख्य लक्षण

एक वापिस बुलाने की व्यवस्था मे निम्न मुख्य लक्षण होने चाहिएं :

- वापिस बुलाने का उद्देश्य और वापिस बुलाने के गुट के सदस्यों की सूची व उनकी जिम्मेदारियां;
- संभावित असुरक्षित उत्पादों से संबधित खतरों पर निर्णयों के दिशानिर्देशों के क्रमवार कदम ;

यह अनुवाद *कॉमनवैल्थ के डिपार्टमेंट ऑफ़ हैल्थ एण्ड एजड केयर* के सौजन्य से किया गया है।

- वापिस बुलाने के विस्तार के निर्णयों के दिशानिर्देशों के क्रमवार कदम : उदाहरण के लिए, क्या उत्पादन पहले से ही परचून स्तर पर पहुंच गया है और उपभोक्ताओं को बेचा जा चुका है ;
- उन अधिकारियों की सूची - जिन्हें वापिस बुलाने के बारे में बताना है, उदाहरण के लिए, आस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड फूड आथोरिटी (ए एन जैड एफ ए) और जिन राज्यों व क्षेत्रों में उत्पादन का वितरण हो चुका है वहां के कामनवैल्थ व राज्य व क्षेत्रीय मंत्री जो स्वास्थय उपभोक्ताओं के मामलों और न्यायपुक्त व्यापार के लिए उत्तरदायी हैं ;
- उन सब स्थानों का लेखा जहां उत्पादन भेजा जा चुका है, उदाहरण के लिए, थोक के व्यापारी, वितरण केन्द्र,सुपर मार्किट , अस्पताल और रेस्टोरेंट ;
- उस जानकारी का लेखा जो दूसरे व्यवसायों और जन साधारण को सहायक होगी उस खाद्य पदार्थ को पहचाननें व वापिस लौटाने मे जिसे आप वापिस बुला रहे है, उदाहरण के लिए, उत्पादन का नाम, बैच कोड, अंकित तिथि, वापिस बुलाने का कारण, कहां खाद्य पदार्थ लौटाना है और अधिक जानकारी के लिए किसे संपर्क करें ;
- सुपरमार्किट व अन्य विक्रय स्थलों पर लौटाए गए खाद्य पदार्थो को वापिस प्राप्त करने के प्रबंध ; और
- वापिस बुलाए गए खाद्य पदार्थो का कुल जोड़ और अभी बाज़ार में कितने हैं ,का प्रबंध ।

खाद्य पदार्थ वापिस बुलाने से संबधित सहायता के लिए उपलब्ध दिशानिर्देश

ए एन जेड एफ ए से खाद्य पदार्थ वापिस बुलाने के दो दिशानिर्देश निशुल्क मिलते हैं।

द फूड इण्डसट्री रिकाल प्रोटोकोल (अभी पुर्नविचाराधीन) से आपको वापिस बुलाने के समय जो कुछ करना चाहिए उस के बारे में आपको सहायता मिलेगी और इसमें वापिस बुलाने की व्यवस्था में कैसी जानकारी शामिल हो उसके बारे में अधिक विस्तार है।

द गर्वनमेंट हैल्थ आथोरिटीस फूड रिकाल प्रोटोकोल में खाद्य पदार्थ वापिस बुलाने की दशा में सरकारी जिम्मेदारियों की रूपरेखा है।

वापिस बुलाए गए, असुरक्षित, अयोग्य या वापिस लौटाए खाद्य पदार्थ का फ़ैकना

सभी खाद्य व्यवसाय अवश्य निश्चित करें कि जो खाद्य पदार्थ वापिस बुलाया गया है,उसकी स्पषट पहचान हो और अन्य खाद्य पदार्थो से अलग रखा जाए। यह खाद्य पदार्थ को आकस्मिक बिक्री से बचाने के लिए है । आप इस खाद्य पदार्थ को अवश्य अलग से रखें जब तक खाद्य पदार्थ वापिस बुलाने वाली कम्पनी से आपको निर्देश नहीं आ जाते कि इसके साथ क्या किया जाए या यदि आपने यह खाद्य पदार्थ वापिस बुलाया है तो जब तक आपने इसको फैंकने का फैसला नही किया ।

अधिक जानकारी चाहिए ?

मापदंडों की प्रतियां, इनके निर्देश और अन्य तथ्य पत्रिकाएं और सहायक सामग्री ऐ एन जेड एफ ए की वेबसाईट (www.anzfa.gov.au) पर मिल सकती है।

जब यह मापदंड हर राज्य व प्रदेश में जारी हो जाऐंगे तब खाद्य व्यवसाय सीधे स्थानिय परिषद् के वातावरण स्वास्थय अधिकारी या अपने राज्य या प्रदेश के स्वास्थय या स्वास्थय सेवाएें विभाग और लोक स्वास्थय खंडों से सलाह ले सकते हैं।

राज्य और प्रदेश के स्वास्थय विभाग व स्थानिय परिषदों के संपर्क का ब्यौरा एक अलग तथ्य पत्रिका “फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड - सौरसिस आफ इनफोरमेशन एन्ड एडवाइस ” में है।

Australia New Zealand Food Authority
P O Box 7186
Canberra MC ACT 2610
Tel: 02 6271 2222 Fax: 02 6271 2278

Website: www.anzfa.gov.au
Email: advice@anzfa.gov.au
Advice Line: 1300 652 166

Australia New Zealand Food Authority
P O Box 10559
Wellington NZ 6036
Tel: 04 473 9942 Fax: 04 473 9855

Website: www.anzfa.govt.nz
Email: nz.reception@anzfa.gov.au
Advice Line: 0800 441 571